न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 81 सन 2022

अनवान :–

1. श्रीचन्द पुत्र ठाकर जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रेशमा पत्नी धन्नाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. राकेश पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर
4. कमलेश पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।

सायलान

बनाम

1. श्योराम पुत्र ठाकरराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर
2. भारतीय स्टेट बैक शाखा रामगढ तहसील नोहर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
4. उप पजीयक रामगढ तहसील नोहर ।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी–1

निर्णय दिनांक :– 04/10/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 95/83 की कुल 1.9400हैक भूमि में सायल संख्या 1 के नाम दर्ज है रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 85/76 की कुल 3.0850हैक भूमि में सायल संख्या 2 ता 4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज है रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 90/80 की कुल 3.3360 हैक भूमि सायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त खातो की भूमि का विभाजन नामान्तकरण संख्या 226 दिनांक 07.02.2011 से जमाबन्दी सम्वत 2064–67 के खाता संख्या 19/12 से हुआ नामान्तकरण में प0न0 380/439 (34) किला न0 19/2 की 0.190हैक भूमि सायल संख्या 1 श्रीचन्द पुत्र ठाकुर व प0न0 380/438(23) किला न0 24/1 की 0.180हैक भूमि सायल संख्या 2 रेशमा पत्नी धन्नाराम व सायल संख्या 3 राकेश कुमार व सायल संख्या 4 कमलेश व मृतक राजेन्द्र पुत्र धन्नाराम (लावल्द फोत) के दर्ज हुई तथा उक्तानुसार ही काश्त करते आ रहे है प0न0 380/438(23) के किला न0 24/2 की 0.060हैक भूमि श्योराम पुत्र ठाकरराम के खाता में दर्ज हुई है इसी अनुसार जमाबन्दी में नोट दर्ज है वर वक्त जमाबन्दी सम्वत 2068–71 तेयार करते समय उक्त रकबा गैरसायल संख्या 1 के खाता में सहवन से दर्ज हो गया जिसके पश्चात गैरसायल संख्या 1 ने भारतीय स्टेट बैक से ऋण ले लिया ।

रोही मोजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 90/80 कुल 3.3360हैक भूमि जिसके प0न0 380/438(23) के किला न0 24/1 की 0.240हैक भूमि में से मिन पश्चिम की 0.180हैक सायल संख्या 2 ता 4 के खाता संख्या 85/76 की कुल 3.085हैक में सम्मलित होनी थी व प0न0 280/439 (34) के किला न0 19/2 की 0.190हैक भूमि सायल संख्या 1 के खाता संख्या 95/[illegible] शामिल की जानी चाहिये थी इसी अनुसार जमाबन्दी संशोधन करवा[illegible]

राजस्व रिकार्ड ज[illegible] भूमि कम दर्ज र[illegible] सायलान के हकों को हनन होता है सायलान अपने हक [illegible]स्सा की भूमि अप[illegible] दर्ज करवाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:37:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अधिकारी है सहवन से जमाबन्दी तेयार करते समय सायलान की भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है जिसे संशोधन करवाने के अधिकारी है।

सायलान ने गैरसायल संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की सहवन से जमाबन्दी तैयार करते समय सायलान के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम दर्ज हो गई है जिसे सायलान के नाम दर्ज करवा देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 90/80 की कुल 3.3360हैक्ट भूमि के प0न0 380/438(23) के किला न0 24/1 की 0.240हैक्ट में से मिन पश्चिम की 0.180हैक्ट भूमि सायल संख्या 2 ता 4 के खाता संख्या 85/76 में शामिल किये जाने व प0न0 380/439(34) के किला न0 19/2 की 0.1900हैक्ट भूमि सायल संख्या 1 के खाता संख्या 95/83 में शामिल किये जाने के आदेश फरमावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 95/83 व 85/76 ,90/80 में भूमि सही तौर से दर्ज की गई है उक्त खातों में भूमि मुताबिक कब्जा काश्त अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम सही तौर से दर्ज है इसी अनुसार कब्जा चला आ रहा है रोही मौजा चक 17 डीपीएन के प0न0 380/438(34) के किला न0 19/2 की 0.1900हैक्ट व प0न0 380/438(23) किला न0 24/1 की 0.2400हैक्ट भूमि मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज की गई है जो सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है।

रोही मोजा चक 17 डीपीएन में उक्त खातों की भूमि मुताबिक कब्जा काश्त के दर्ज की गई है जो सही प्रकार से दर्ज जिसमे किसी भी प्रकार का परिर्वतन सायलान करवाने के अधिकारी नही है अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वर्तमान रिकार्ड में दर्ज है एव वाद भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त में चली आ रही है सायलान ने मनगढत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र केवल अप्रार्थी को परेशान करने के लिये पेश किया गया है जिसे खारिज फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र का जबाब पेश किया की अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज भूमि का रहन रख कर ऋण लिया हुआ है जो बैक के पक्ष में रहन है जिस पर किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती जब तक ऋण जमा नही हो जाता तब तक किसी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है

अप्रार्थी संख्या 3 ,4 ने जबाब पेश नही किया गया उभयपक्षों के जबाब को शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में सायल संख्या 1 ता 4 व गैरसायल संख्या 1 के नाम सयुक्त तौर से दर्ज थी जिसका खाता विभाजन करवाया गया था खाता विभाजन का नामान्तकरण संख्या 226 दिनांक 07.02.2011 सही तौर से तस्दीक किया गया जिसमें रोही मोजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 90/80 की कुल 3.3360हैक्ट भूमि के प0न0 380/438(23) के किला न0 24/1 की 0.240हैक्ट में से मिन पश्चिम की 0.180हैक्ट भूमि सायल संख्या 2 ता 4 के [illegible]/76 में शामिल किये जाने व प0न0 380/439(34) के किला [illegible] सायल संख्या 1 के नाम दर्ज थी किन्तु आगामी जमाबन्दी [illegible] भूमि गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज कर दी जो कतई गलत है सहवन से जमाबन्दी तैयार करते समय उक्त त्रुटी हुई है जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:37:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायलान संशोधन करवाकर नामान्तकरण संख्या 226 के भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की भूमि मुताबिक कब्जा काश्त के सही तोर से दर्ज की गई है वाद भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसमें सायलान किसी प्रकार का संशोधन करवाने के अधिकारी नही है अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने निवेदन किया की अप्रार्थी संख्या 1 ने बैक से वाद भूमि रहन रख कर ऋण लिया हुआ है बैक की राशि जमा करवाने के उपरान्त संशोधन फरमावे एव बैक के हितो को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 3 ,4 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर निवेदन किया की सायल एव गैरसायल के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन मनन किया गया वाद भूमि रोही मौजा चक 17 डीपीएन की 11.623हैक पूर्व में ठाकर पुत्र लेखू जाति जाट के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से उनके विधिक वारिसान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई जमाबन्दी सम्वत 2064 से 67 से साबित है ठाकर पुत्र लेखू के देहान्त होने पर उनके वारिसान के नाम एव वारिसान में से धन्नाराम के देहान्त होने पर उसके वारिसान के नाम दर्ज हुई जो जमाबन्दी में अंकित नोट से प्रमाणित है अर्थात वादी भूमि पूर्व में सायलान व गैरसायल संख्या 1 के पूर्वजों के नाम व विरास्तन से वाद भूमि सायलान व गैरसायलान को प्राप्त हुई थी जो मुश्तरका खाते में दर्ज थी।

वाद भूमि जो सायलान संख्या 1 ता 4 व गेरसायल संख्या 1 व अन्य काश्तकारों के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज थी जिसका खाता विभाजन करवाया गया तथा मुताबिक खाता विभाजन नामान्तकरण संख्या 226 रोही मौजा चक 17 डीपीएन दर्ज किया गया जो दिनांक 07.02.2011 को स्वीकृत किया गया था नामान्तकरण के अनुसार ही जमाबन्दी में खाता विभाजन में प्राप्त हुई भूमि का नोट अंकित किया गया था जिसके अनुसार रोही मोजा चक 17 डीपीएन के के प0न0 380/438(23) के किला न0 24/1 की 0.240हैक में से मिन पश्चिम की 0.180हैक भूमि सायल संख्या 2 ता 4 को तथा प0न0 380/439(34) के किला न0 19/2 की 0.1900हैक भूमि सायल संख्या 1 के नाम दर्ज है जो प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 226 एव जमाबन्दी की प्रति से प्रमाणित /साबित है।

नामान्तकरण संख्या 226 दिनाक 07.02.2011 व जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 से आगामी जमाबन्दी तेयार की गई जिसमें उक्त नामान्तकरण का अंकन किया गया जिसमें सहवन से रोही मोजा चक 17 डीपीएन के के प0न0 380/438(23) के किला न0 24/1 की 0.240हैक में से मिन पश्चिम की 0.180हैक भूमि सायल संख्या 2 ता 4 को तथा प0न0 380/439(34) के किला न0 19/2 की 0.1900हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई जबकि उक्त भूमि खाता विभाजन में सायलान को प्राप्त हुई थी सहवन से उक्त भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज की गई है ।

नामान्तकरण संख्या 226 दिनांक 07.02.2011 एव जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 में अंकित नोट के अनुसार रोही मोजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 90/80 की कुल 3.3360हैक भूमि के प0न0 380/438([illegible] [illegible] किला न0 24/1 की 0.240हैक में से मिन पश्चिम की 0.180हैक भू[illegible] [illegible] 95/76 में शामिल किये जाने व प0न0 380/439(34) के किला न0 [illegible] [illegible] 0.1900हैक भूमि सायल संख्या 1 के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी जो सहवन से [illegible]र्थी संख्या 1 के खाते में दर्ज कर दी गई जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:37:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गलत एवं विधि विरूद्व है वाद भूमि खाता विभाजन के अनुसार ही आगामी जमाबन्दी तेयार करते समय जमाबन्दी में दर्ज किया जाना चाहिये था सहवन से गलत तौर से दर्ज हुई है जिसे सायलान संशोधन करवान के अधिकारी है

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद भूमि पूर्व मे संयुक्त खातें में दर्ज थी जिसका खाता विभाजन किया गया था खाता विभाजन के अनुसार नामान्तकरण संख्या 226 दिनांक 07.02.2011 दर्ज किया गया उसी के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2024 से 2067 में नोट अंकित किया गया किन्तु आगामी जमाबन्दी तेयार करते समय किला न0 19/2 ,24/1 जो विभाजन में सायलान को प्राप्त हुआ था को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया गया जिसे सायलान संशोधन करवाकर अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है जहॉ तक बैक के ऋण का प्रश्न है अप्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि का बैक के रहन रख कर ऋण लिया गया है जिसमें से वाद भूमि कम करने पर भी प्रर्याप्त भूमि शेष रहती है जिससे बैक अपनी राशि अप्रार्थी संख्या 1 से वसूल कर सकता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 90/80 की कुल 3.3360हैक भूमि के प0न0 380/438(23) के किला न0 24/1 की 0.240हैक में से मिन पश्चिम की 0.180हैक भूमि सायल संख्या 2 ता 4 के खाता संख्या 85/76 में शामिल किये जाने व प0न0 380/439(34) के किला न0 19/2 की 0.1900हैक भूमि सायल संख्या 1 के खाता संख्या 95/83 में शामिल की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/10/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:37:41 IST
Reason: SelfAttested